लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1208

28 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

बुनकर सेवा केन्द्र

1208. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ० अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ० हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ० सुभाष रामराव भामरे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न हथकरघा विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में काम कर रहे बुनकर सेवा केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत और उनके द्वारा प्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उन कारणों की जानकारी है जिन कारणों से कतिपय राज्यों में बुनकर सेवा केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बुनकर सेवा केन्द्र के कार्यकरण की निगरानी हेतु कोई निगरानी समिति गठित की है और यदि हां, तो देश में निगरानी समिति द्वारा बुनकरों की हल की गई समस्याओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा देश में बुनकर सेवा केन्द्रों के कार्यकरण को सुदृढ़ करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): पूरे देश में 28 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) कार्य कर रहे हैं। इन डब्ल्यूएससी की राज्य-वार अवस्थिति अलग से अनुबंध-I में दी गई है।

(ख): इन डब्ल्यूएससी की स्थापना का उद्देश्य नए डिजाइन, बुने हुए वस्त्र/संरचना/पैटर्न, उत्पाद विकास/विविधताएं, उचित शेड मिलान के साथ यार्न की रंगाई, नए डिजाइनों के साथ फैब्रिक की छपाई आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से हथकरघा बुनकरों, हथकरघा सहकारी समितियों/निगमों और अन्य विनिर्माताओं, निर्यातकों, डिजाइनरों आदि की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के अलावा, ये केंद्र बुनकरों, छात्रों या अन्य किसी को जो तकनीकी कौशल के उन्नयन के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं, के लिए डिजाइन, बुनाई और रंगाई/छपाई में कार्य स्थल पर ही (इन-हाऊस) प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। केंद्रों की अन्य गतिविधियों का सार नीचे दिया गया है: -

- हथकरघा क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करना और राज्य सरकारों, एपेक्स एवं प्राथमिक सहकारी समितियों जैसी हथकरघा एजेंसियों, हथकरघा में काम करने वाले राज्य और निजी उपक्रमों को सहायता तथा सहभागिता प्रदान करना।
- कार्यान्वयन के संबंध में निगरानी के साथ-साथ "ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर" योजना के तहत शामिल हथकरघा बुनकरों को उनके कौशल उन्नयन हेतु नवीनतम बाजार रुझानों के अनुसार नए नमूनों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

- डिजाइनरों, उत्पादकों और खरीदारों के बीच इंटरफेस की व्यवस्था करके बाजार सहायता प्रदान करना जिसमें नमूना आदेशों का निष्पादन शामिल है ।
- पारंपरिक कौशल का संरक्षण और दस्तावेजीकरण और पारंपरिक कौशल का पुनरुत्थान तथा उत्पादन और विपणन के लिए पारंपरिक डिजाइनों का पुनरुद्धार ।
- नए एवं बेहतर डिजाइन, उपकरणों और प्रसंस्करण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं की व्यवस्था करना ।
- करघा-पूर्व, करघा और करघा-बाद की प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान।
- प्रसंस्करण तकनीक में सुधार ।
- बुनाई, डिजाइन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता के बीच बातचीत द्वारा और अधिक विपणन उत्पादों को तैयार करने के लिए उत्पाद विकास ।
- बुनाई तकनीकों एवं सहायक सामानों और बुनाई में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में सुधार।
- बुनकरों (हैंडलूम पॉकेट्स) को, जो केंद्रों से बहुत दूर स्थित हैं और जहां डब्ल्यूएससी की कोई पहुंच नहीं है, वहां एक माह में किसी विशेष दिन पर डब्ल्यूएससी के कर्मचारियों को नियुक्त करके सहायता प्रदान करना ।
- इन डब्ल्यूएससी द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अलग से अनुबंध- II में दिया गया है ।

(ग) से (च): आधिकारिक दौरों के दौरान, समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डब्ल्यूएससी का निरीक्षण किया जाता है। प्रत्येक ज़ोन के क्षेत्रीय निदेशक, प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए उनसे संबंधित ज़ोन के तहत बुनकर सेवा केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी करते हैं । वे राज्य हथकरघा विभागों के साथ संपर्क करके चालू योजनाओं की समीक्षा करते हैं और क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं ।

हथकरघा क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए डब्ल्यूएससी को उन्नत बनाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था:-

1. सुश्री लैला तैयबजी, डिजाइनर एवं दस्तकार, नई दिल्ली की संस्थापक ।
2. सुश्री जया जेटली, दस्तकारी हाट समिति, नई दिल्ली की संस्थापक एवं अध्यक्ष ।
3. श्री सब्यासाची मुखर्जी, डिजाइनर, कोलकाता ।
4. श्री गौरांग शाह, डिजाइनर, हैदराबाद ।
5. सुश्री अनाविला मिश्रा, डिजाइनर, मुंबई ।

वस्त्र मंत्री द्वारा 4 जनवरी, 2017 को बुनकर मित्र-हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र की शुरूआत की गई थी जिसमें विशेषज्ञों द्वारा बुनकरों के सवालों का जवाब दिया जाता है, जिससे बुनकरों की तकनीकी मामलों/समस्याओं का समाधान किया जा सके। मई, 2019 की स्थिति के अनुसार, इस हेल्पलाइन के माध्यम से कुल 25,858 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायतों का समाधान किया गया। डब्ल्यूएससी के कार्यनिष्पादन को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं: -

- डब्ल्यूएससी के रिक्त पद भरे जाते हैं ।

- भवन और मशीनरी सहित बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन किया जाता है।

-उत्पाद विकास और विपणन के लिए डिजाइनरों और डब्ल्यूएससी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

- कुछ डब्ल्यूएससी में बुनकरो के साथ अपने डिजाइनों को दिखाने और साझा करने, नए डिजाइन विकसित करने और एक समय अवधि में तैयार किए गए बेहतर डिजाइनों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में काम करने हेतु डिजाइन एवं संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

******

अनुबंध -I

दिनांक 28.06.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1208 के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	राज्य	बुनकर सेवा केंद्र का स्थान
उत्तरी क्षेत्र:		
1.	दिल्ली	दिल्ली
2.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
3.		मेरठ
4.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर
5.	उत्तराखंड	चमोली
6.	राजस्थान	जयपुर
7.	हरियाणा	पानीपत
पूर्वी क्षेत्र:		
8.	असम	गुवाहाटी
9.	त्रिपुरा	अगरतला
10.	मणिपुर	इम्फाल
11.	पश्चिम बंगाल	कोलकता
12.	बिहार	भागलपुर
13.	ओडिशा	भुवनेश्वर
14.	नागालैंड	दीमापुर
15.	मिज़ोरम	ऐज़वल
16.	झारखंड	रांची
पश्चिमी क्षेत्र:		
17.	महाराष्ट्र	मुम्बई
18.		नागपुर
19.	गुजरात	अहमदाबाद
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	छत्तीसगढ़	रायगढ़
दक्षिणी क्षेत्र:		
22.	तमिलनाडू	चेन्नई
23.		सेलम
24.		कांचीपुरम
25.	कर्नाटक	बैंगलोर
26.	केरल	कन्नूर
27.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
28.	तेलंगाना	हैदराबाद

अनुबंध –।।

दिनांक 28.06.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1208 के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण
(बुनकर सेवा केंद्रों द्वारा विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत तथा उपयोग की गई निधियां)

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बुनकर सेवा केंद्रों को आवंटित की गई निधियां	किया गया व्यय
1.	2016-17	4,083.90	3,851.11
2.	2017-18	4,394.46	4,272.35
3.	2018-19	4,598.91	4,438.75
4.	2019-20	4,104.20	883.89 (मई 2019 तक)

*****